

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 16/18 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2018/00068

उनवान

1. खेमराज पिता उंकारलालजी जाति कलाल आयु 52 वर्ष निवासी ईन्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
2. भेरूलाल पिता उंकारलालजी जाति कलाल आयु 47 वर्ष निवासी ईन्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
3. मांगीबाई पुत्री उंकारलालजी जाति कलाल आयु 40 वर्ष निवासी ईन्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
4. नारायणलाल पिता उदयलालजी जाति कलाल आयु 47 वर्ष निवासी ईन्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
5. कैलाशीबाई पुत्री उदयलालजी जाति कलाल आयु 44 वर्ष निवासी ईन्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
6. प्रेमी पुत्री उदयलालजी जाति कलाल आयु 41 वर्ष निवासी ईन्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
7. दुर्गा पुत्री उदयलालजी जाति कलाल आयु 38 वर्ष निवासी ईन्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
8. श्रीमती मोहनीबाई पत्नी उदयलालजी जाति कलाल आयु 68 वर्ष निवासी ईन्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
9. लालूराम पिता स्व० धुलाजी जाति कलाल आयु 50 वर्ष निवासी ईन्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
10. रूपलाल पिता स्व० धुलाजी जाति कलाल आयु 50 वर्ष निवासी ईन्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
11. सुशीला पुत्री स्व० धुलाजी जाति कलाल आयु 45 वर्ष निवासी ईन्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
12. श्रीमती धुली पत्नी स्व० धुलाजी जाति कलाल आयु 60 वर्ष निवासी ईन्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. मोहनलाल पिता नवलाजी खारोल जाति कलाल आयु 65 वर्ष निवासी ईन्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
2. दयाशंकर पिता छगनलालजी खारोल जाति कलाल आयु 40 वर्ष निवासी ईन्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
3. श्रीमती मांगीबाई पत्नी छगनलालजी जाति कलाल आयु 65 वर्ष निवासी ईन्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
4. वेणीराम पिता नवलाजी जाति कलाल आयु 50 वर्ष निवासी ईन्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
5. श्रीमती डालीबाई पत्नी चतरभूजजी जाति कलाल आयु 70 वर्ष निवासी ईन्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)



6. नानी उर्फ मांगी पुत्री चतरभूजजी जाति कलाल आयु 40 वर्ष निवासी ईन्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
7. टीमा उर्फ तुलसी पुत्री चतरभूजजी जाति कलाल आयु 35 वर्ष निवासी ईन्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
8. उदा पिता मेघा चतरभूजजी जाति कलाल आयु 70 वर्ष निवासी ईन्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
9. बदामी जोजे शंकरलालजी जाति कलाल आयु वयस्क निवासी ईन्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
10. छोगालाल पिता लच्छीरामजी जाति कलाल आयु वयस्क निवासी ईन्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
11. मोहनलाल पिता नवलरामजी जाति कलाल आयु वयस्क निवासी ईन्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
12. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा० मावली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
.....विपक्षीगण

उपस्थित :- 1. श्री सुशील कुमार ओस्तवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम
निर्णय

दिनांक : 17.02.2026

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा ईन्टाली पटवार हल्का ईन्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 2177 रकबा 16 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में हम प्रार्थीगण के नाम स्वतन्त्र खातेदारी अधिकार से दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पड़ोस में विपक्षीगण की भूमि स्थिति है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य रोज सरहद को लेकर विवाद होता रहता है। इसलिए मुझ प्रार्थी की कृषि भूमि का सीमांकन कर चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगड़ी कराया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में हमारी भूमि की सीमा को लेकर विपक्षीगण से किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नही हो। अंत में निवेदन किया कि हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय का आदेश फरमाया जावे कि उक्त वर्णित हम प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि की सीमा का स्थायी सीमांकन कराया जाकर दक्षिण दिशा में पत्थरगड़ी कराई जावे।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 8 फौत हो जाने से इनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि

मौजा ईन्टाली पटवार हल्का ईन्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2072-75 के खाता संख्या 40 पर दर्ज आराजी नम्बर 2177 रकबा 16 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार उक्त आराजीयात में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र प्रकरण अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि की पत्थरगड़ी करवाने हेतु प्रस्तुत किया है। यह प्रकरण घोषणा से संबंधित नहीं है। केवल मात्र प्रार्थीगण के नाम दर्ज भूमि का सीमांकन कर पत्थरगड़ी की जानी है। उक्त भूमि का सीमांकन कर पत्थरगड़ी कर दी जाती है तो प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य सीमा संबंधी विवाद नहीं रहेगा। सीमा संबंधी विवाद नहीं हो इसलिये प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी हक की आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

:: आदेश ::

4. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/-रुपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा ईन्टाली पटवार हल्का ईन्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2072-75 के खाता संख्या 40 पर दर्ज आराजी नम्बर 2177 रकबा 16 बिस्वा भूमि का पुख्ता सीमांकन किया जाकर दक्षिण दिशा में पत्थरगड़ी की जावे। पत्थरगड़ी करने से पूर्व प्रार्थीगण, विपक्षीगण/ पड़ौसी खातेदारो को सूचना पत्र जारी किये जावे। यथासंभव पत्थरगड़ी प्रार्थीगण, विपक्षीगण/ पड़ौसी खातेदारो की उपस्थिति में की जावे। साथ ही उभय पक्षो को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में केवल मात्र सीमांकन कर पत्थरगड़ी की जानी है। उक्त आदेश केवल मात्र पत्थरगड़ी किये जाने का दिया गया है। उक्त निर्णय के संदर्भ में एक दूसरे को कब्जे से बेदखल करने का प्रयास नहीं करें। उभय पक्षो का पत्थरगड़ी करने के पश्चात कब्जे संबंधी मौके पर विवाद पाया जाता है तो इस संबंध में सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। फीस कमिश्नर प्रार्थीगण मौके पर अदा करें।
5. तहसीलदार मावली को लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
6. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर